UPAU010004962026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया

दण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–32/2026

आदेश यादव बनाम उ०प्र० राज्य

सम्बन्धित मु० अ०सं०–40/2025
धारा 109(1),103(1),140(1),
324(2),191(2) बी०एन०एस०
थाना कुदरकोट, जनपद औरैया।

दिनांक–18.04.2026

1– पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वाहन निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र 3 ख पर सुना गया।

2– प्रार्थी आदेश यादव की ओर से प्रार्थना पत्र 3 ख मय शपथ पत्र 4 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह उपरोक्त मामले में अभियुक्त है और उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 12.12.2025 को हो चुकी है। वह जमानत पर है। पुलिस द्वारा दौरान गिरफ्तारी उसकी कार स्विफ्ट डिजायर नम्बर यू०पी० 75 सीटी 2779 उसके घर से उठाकर थाना परिसर में खड़ी कर ली है, जिसका वह पंजीकृत स्वामी है, जिसके सभी वैध प्रपत्र उसके पास है। उसका उक्त वाहन कामर्शियल है और टैक्सी परमिट के रूप में संचालित हो रहा है। वाहन उपरोक्त के अधिक समय तक थाना परिसर में खड़े रहने से उसकी वास्तविक उपयोगिता नष्ट हो रही है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक अथवा सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उक्त माल मुकदमाती वाहन को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना है अथवा भेजे जाने की आवश्यकता है। अतः उक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

3– उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता,

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.04.18 16:43:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दाण्डिक द्वारा कथन किया गया है, उक्त वाहन माल मुकदमाती है। अतः उनके द्वारा वाहन अवमुक्ति का विरोध किया गया है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5– थाना कुदरकोट की आख्या के अनुसार स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यू०पी० 75 सीटी 2779, चेसिस नम्बर MA3CZFB3SRF904168, इंजन नम्बर K12NP75326352 थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–40/2025 अन्तगर्त धारा 109(1), 103(1), 140(1), 324(2), 191(2) बी०एन०एस० से सम्बन्धित है एवं मुकदमा उपरोक्त में दाखिल है, जो थाना परिसर में खड़ी है।

6– प्रार्थी आदेश यादव द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यू०पी० 75 सीटी 2779 के स्वामित्व के सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, वाहन के कामर्शिल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छयाप्रति, बीमा की इंटरनेट प्रति एवं स्वयं का मूल ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल की गयी हैं तथा न्यायालय के अवलोकनार्थ पंजीयन प्रमाणपत्र की मूल प्रति, वाहन के कामर्शिल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्वयं का मूल ड्राइविंग लाइसेंस दाखिल किया गया है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी आदेश यादव का नाम उक्त स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यू०पी० 75 सीटी 2779 के पंजीकृत स्वामी के रूप में अंकित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाद के लम्बन की अवधि में वाहन थाने की अपेक्षा उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अधिक सुरक्षित रहेगा तथा वाहन के सम्बन्ध में अन्य कोई दावेदार उपस्थित नहीं है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि व्यवस्था **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई प्रति गुजरात राज्य 2003(46) एसीसी 223 (एससी)** में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रश्गत वाहन उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किय जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

7– वाहन स्वामी मु० 5,00,000/– की एक जमानत एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वाद के लम्बन की अवधि में उक्त वाहन किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा न किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा, न ही वाहन के स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उक्त वाहन को अपने खर्चे पर न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।

8– तदनुसार उक्त शर्तों को पूरा करने पर थानाध्यक्ष कुदरकोट को आदेशित किया जाता है कि यदि वाहन स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यू०पी० 75 सीटी 2779 अन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो, तो उक्त वाहन प्रार्थी आदेश यादव के पक्ष में उसकी पहचान सुनिश्चित कर अवमुक्त कर दिया जाये।

दिनांक–18.04.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।